

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगोन, म०प्र०

क्रमांक / 114 / भू-अर्जन / 17

खरगोन, दिनांक 14 / 3 / 2017

सार्वजनिक सूचना

(म.प्र. शासन की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 के अंतर्गत)

चूँकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति की अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए निजी भूमि की आवश्यकता के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग के खारक तालाब योजना के उपनहर क्रमांक-3 के लिये भूमि की आवश्यकता होने के कारण आपके धारणाधिकार की भूमिकय करने हेतु निम्न विवरण में वर्णित भूमि की आवश्यकता है तथा विवरण में उल्लेखित भूमिस्वामी/भूमिस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका-10 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप ख में विक्रय करने की सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका-11(1) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है, कि नीति के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा--

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला-खरगोन, तहसील-भगवानपुरा, प.ह.नं.- 10, ग्राम- सुखपुरी, कुल रकबा 0.043 हे०

क्र.	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम	सर्वे नंबर	प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल हेक्टर में			अन्य संपत्ति
			सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7
1	सिकरिया पिता हुसल्या, जाति बारेला, निवासी ग्राम सुखपुरी, तहसील भगवानपुरा	4/92/2	0.024	---	0.024	---
2	कालिया पिता हुसल्या, जाति बारेला, निवासी ग्राम सुखपुरी, तहसील भगवानपुरा	4/92/1	0.019	---	0.019	---

नोट:-

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक कुमार वर्मा)

कलेक्टर,

जिला खरगोन, म.प्र.